सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या – 347 राँची, गुरूवार, 28 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 जुलाई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-76/2018-6966 (HRMS)--सुश्री रश्मि रंजन, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-पटना, बिहार), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, अतिरिक्त प्रभार-अवर निबंधक, मधुपुर के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2972(9)/रा०, दिनांक 16.07.2018 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-419/स्था०, दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

"उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर के आदेश संख्या-01/2018, ज्ञापांक 08/स्था०, दिनांक-04.01.2018 द्वारा सुश्री रश्मि रंजन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर को निबंधन कार्यालय, मधुपुर का प्रभार दिया गया था। श्री रंजन को अपने प्रभार अवधि में मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के निबंधन, कार्य बाधित करने के कारण कार्यालय के पत्रांक-144/स्था०, दिनांक-07.03.2018, पत्रांक 182/स्था०, दिनांक 16.03.2018 एवं पत्रांक 329/स्था०, दिनांक

14.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। उनके द्वारा पत्रांक-742/वि०, दिनांक 16.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। स्पष्टीकरण में दिये गये तथ्य असंतोषजनक एवं स्वीकारयोग्य नहीं है एवं दिनांक 23.02.2016 को उपायुक्त-सह-जिला निबंधक, देवघर की अध्यक्षता में सम्पन्न निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक-195, दिनांक-19.02.2016 द्वारा निर्गत निदेश में स्पष्ट निदेश दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा निबंधन का कार्य बाधित किये जाने के कारण मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के आम लोगों को अपने दस्तावेजों का निबंधन कराने हेतु बाध्य होकर जिला निबंधन कार्यालय, देवघर से कराना पड़ रहा है, जिसकी सूचना जिला निबंधन कार्यालय, देवघर आदेश संख्या-01/2018, ज्ञापांक-226/दिनांक 14.05.2018 द्वारा दी, जिसके आलोक में सुश्री रश्मि रंजन, अवर निबंधक, मधुपुर को कार्यालय के पत्रांक- 393/स्था०, दिनांक-12.06.2018 द्वारा निबंधन कार्य बाधित किये जाने एवं मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के 57 (सनतावन) आमलोगों को अपने दस्तावेजों का निबंधन कराने हेतु बाध्य होकर नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क 5150.00 (पाँच हजार एक सौ पचास) रूपये प्रति निबंधन भुगतान कर देवघर से कराये जाने के आरोप में अंतिम चेतावनी देते हुए निबंधन कार्य बाधित नहीं किये जाने का निदेश दिय गया। फिर भी उपायुक्त, देवघर द्वारा बार-बार निदेश के बावजूद भी सुश्री रंजन द्वारा निबंधन कार्य नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है ।

सुश्री रंजन को उपायुक्त, देवघर द्वारा बार-बार निदेश के बावजूद अपने कार्य के प्रति लापरवाही, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता, आमजनों के प्रति असंवेदनशील एवं अपने अभिमुख रवैया अपनाये जाने के कारण कार्यहित एवं जनहित में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-418/स्था० दिनांक-25.06.2018 के द्वारा इन्हें निबंधन कार्य से मुक्त किया गया। सुश्री रंजन ने वरीय पदाधिकारी की आदेश की अवहेलना कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता, अकुशलपनएवं निबंधन कार्य बाधित किये जाने एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है ।"

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6607, दिनांक 29.08.2018 द्वारा सुश्री रंजन से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में सुश्री रंजन के पत्र, दिनांक 12.09.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। सुश्री रंजन के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8753, दिनांक 03.12.2018 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-822/स्था0, दिनांक 31.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को बेबुनियाद/सत्य से परे एवं तथ्यविहीन प्रतिवेदित किया गया ।

सुश्री रंजन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, देवघर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1397(HRMS) दिनांक 19.03.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-114, दिनांक 09.05.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

सुश्री रंजन के विरूद्ध आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाया गया-

(क) इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर के प्रभार अवधि दिनांक 09.01.2018 से 27.06.2018 तक में इनके द्वारा एक भी दस्तावेज का निबंधन नहीं किया गया। उक्त अवधि से संबंधित कुल 57 दस्तावेजों का निबंधन कार्य प्रति दस्तावेज 5,150/- रूपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आमजनों द्वारा जिला अवर निबंधन कार्यालय, देवघर में कराया गया है ।

(ख) उपायुक्त, देवघर द्वारा प्रेषित मंतव्य पत्रांक-822/स्था०, दिनांक 31.12.2018 में स्पष्ट किया गया है कि उनके पत्रांक-144/स्था०, दिनांक 07.03.2018 द्वारा इनसे निबंधन कार्य हेतु प्राप्त सभी आवेदन एवं डीड का निबंधन कार्य सम्पादित करने की संख्या का कार्य साक्ष्य सहित एवं संबंधित पंजी की माँग की गई, किन्तु निबंधन कार्यालय के प्रभार अवधि में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने डीड इनके द्वारा निष्पादित किया गया, से संबंधित कोई प्रतिवेदन एवं पंजी इनके द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

(ग) दिनांक 09.01.2018 से 12.06.2018 तक की अवधि में निबंधन हेतु प्राप्त डीड को किन कारणों के आधार पर निबंधन नहीं किया गया है, से संबंधित कोई साक्ष्य/पंजी इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं अतः सिर्फ दिनांक 13.06.2018 से 28.06.2018 तक की अवधि से संबंधित पंजी के आधार पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य कि पक्षकारों द्वारा दस्तावेज के साथ अपेक्षित एवं समुचित कागजात संलग्न नहीं किये जाने के कारण आरोपी के द्वारा भूमि का निबंधन नहीं किया गया, ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है ।

(घ) संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इनको निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-71 का अनुपालन न करने का दोषी प्रतिवेदित किया गया है ।

मामले की समीक्षोपरांत, सुश्री रंजन के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावति किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8534, दिनांक 23.10.2019 द्वारा सुश्री रंजन से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। सुश्री रंजन के पत्र, दिनांक 14.11.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया ।

सुश्री रंजन के विरूद्ध आरोप, बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर के रूप में पदस्थापित थे तथा अवर निबंधक, मधुपुर के अतिरिक्त प्रभार में थे। संचालन पदाधिकारी के अंतिम निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है कि जानकारी के अभाव में आरोपी पदाधिकारी द्वारा भूमि का निबंधन नहीं किया गया, बल्कि विवाह निबंधन का कार्या किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को सही नहीं माना गया है, फिर भी यह मामला insubordination का है ।

समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०- 8229(hrms), दिनांक 31.07.2020 सुश्री रंजन के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध सुश्री रंजन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में W.P.(S) No. 2758/2020- Rashmi Ranjan Vrs. State of Jharkhand & Ors.दायर किया गया है, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2020 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"the learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this writ petition with liberty to file an appeal before the competent authority.

In view of the above submission the writ petition is permitted to withdraw with liberty to file any appeal under section 24 of Jharkhand Government Servant (CCA) Rule, 2016 before the competent authority."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में सुश्री रंजन का अपील आवेदन राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-684, दिनांक 19.03.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। सुश्री रंजन द्वारा अपने अपील आवेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

“इनका कहना है कि इनकी मंशा जमीन रजिस्ट्री के कार्य को बाधित करने की नहीं थी। उपायुक्त-सह-जिला निबंधक, देवघर की अध्यक्षता में सम्पन्न निबंधन संबंधी बैठक की कार्यवाही के निदेश के आलोक में ये निबंधन कार्य करना चाहिए थी, ताकि भू-माफियों पर अंकुश लग सके तथा जमीन खरीद-बिक्री पर पारदर्शिता बना रहे। भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र तथा भूमि के स्वरूप के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में जमीन का निबंधन इनके द्वारा नहीं किया गया तथा इस संबंध में इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी उपायुक्त को अवगत कराया गया ।”

सुश्री रंजन से प्राप्त अपील आवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपील आवेदन में उन्हीं बातों/तथ्यों की पुनरावृति की गई है, जो पूर्व में उनके द्वारा उपायुक्त एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण/जवाब में दाखिल की गई है। उनके द्वारा अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण तथ्य/बिन्दु को उपस्थापित नहीं की गई है। समर्पित अपील आवेदन में अंकित तथ्य यथा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र तथा भूमि के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में ही जमीन का निबंधन उनके द्वारा नहीं की गई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

अतः समीक्षोपरांत, सुश्री रश्मि रंजन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, अतिरिक्त प्रभार-अवर निबंधक, मधुपुर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv)के तहत् अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक” को यथावत् रखा जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RASHMI RANJAN 110027710606	सुश्री रश्मि रंजन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, अतिरिक्त प्रभार-अवर निबंधक, मधुपुर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के तहत् अधिरोपित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक" को यथावत् रखा जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री रश्मि रंजन, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 347 – 50